खंड 10 संख्या 22

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग-2—कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

मंगलवार, तिथि 26 जुलाई, 1983 ।

विषय-सूची ।

पृष्ठ

शून्य काल की चर्चाएँ : 1—10

(क) विद्यालय भवन को जलाया जाना
(ख) पटना स्थित कुर्जी अस्पताल में तनाव की स्थिति
(ग) थाना प्रभारी द्वारा मनमानी
(घ) इन्टरमेडिएट छात्रों का नामांकन
(ङ) विद्यालय की स्वीकृति
(च) बीड़ी मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी का भुगतान
(छ) उपनगर की घोषणा
(ज) विधान-सभा सदस्य के साथ दुर्व्यवहार
(झ) ग्रामीणों के बीच आतंक का वातावरण
(ञ) शिक्षकों का वेतन भुगतान
(ट) प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कारंवाई
(ठ) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के परीक्षा फारम में गोलमाल ।
(ड) बाँध की मरम्मती
(ढ) निर्दोष व्यक्ति की हत्या

किलो आटा पिसाई लेते थे अब 60 पैसे लेना शुरू कर दिया है। सारे कन्ज्यूमर्स मारे जा रहे हैं।

अध्यक्ष—अब सभा की बैठक 2 बजकर 5 मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

(अन्तराल)

इस अवसर पर उपाध्यक्ष ने आसन ग्रहण किया।

बिहार विधान-परिषद् से प्राप्त संदेश।

सभा सचिव—महोदय, मैं बिहार विधान परिषद् में उद्भूत तथा उसके द्वारा तिथि 25 जुलाई, 1983 को यथापारित दंड प्रक्रिया संहिता (बिहार सशोधन) विधेयक, 1983 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

विधान कार्य : राजकीय (वित्तीय) विधेयक :

बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1983।

श्री राजकुमार पूर्वे—उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो एप्रोप्रिएशन बिल सदन के सामने विचाराधीन है उस सम्बन्ध में कहना है कि इतना रुपया निकालकर सरकार को खर्च करने के लिए देने का क्या औचित्य है ? सरकार बराबर कहती है कि राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अगर राज्य की आर्थिक स्थिति खराब है उसका क्या कारण है ? इसका कारण है इस सरकार का निकम्मापन और राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार। इसके अलावे केन्द्र भी इसके लिए कम जिम्मेवार नहीं है। आज मैं केन्द्र के पहलू पर ही बोलना चाहूँगा। उपाध्यक्ष महोदय, अभी देश के अन्दर पंजाब और असम में सेपरेट स्टेट बनाने के लिए आन्दोलन चल रहा है और बिहार में भी झारखंड प्रान्त बनाने का आन्दोलन चल रहा है। इस आन्दोलन के पीछे प्रान्तीय भाषा को मुद्दा बनाया गया है। मेरा कहना है कि पूरी आर्थिक और राजनैतिक शक्ति केन्द्र के अन्दर सिमट कर रह गयी है। केन्द्र की सरकार श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार संविधान के अनुच्छेद 315 और 356 का इस्तेमाल करती है। केन्द्र की जब इच्छा हुई राज्य के सरकार को डिसमिस कर दिया। जिन राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें हैं उनको डिसमिस कर

दिया। केन्द्र में कांग्रेस की सरकार है तो सभी राज्यों में कांग्रेस की ही सरकार हो यह जरूरी तो नहीं है? इस तरह केन्द्र की सरकार संविधान के विपरीत कार्य करती है। महाराष्ट्र में अंतुले गये, भोसले आये फिर ये जायेंगे दूसरे आयेंगे। आन्ध्र में भी वही हुआ। केन्द्र का रवैया काफी शर्मनाक है। राज्यों के मुख्य मंत्री केन्द्र के डोमेस्टिक सर्वेंट जैसा ट्रीट किए जाते हैं। इस तरह पोलीटिकल पावर केन्द्र के हाथ में सिमट कर चला गया है। यह देश और राज्य के लिए खतरनाक स्थिति को पैदा कर दिया है। राज्यों के मुख्य मंत्री कोई केन्द्र के डोमेस्टिक सर्वेन्ट नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि वन वाला विधेयक लाया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह के कितने विधेयक राष्ट्रपति के यहां लम्बित हैं? संविधान के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति और राज्यपाल के यहां विधेयक को भेजे जाने का प्रावधान है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि राज्य के हित में अगर कोई राज्य सरकार कानून बनती है तो उस पर राज्य सरकार का पूरा अधिकार रहना चाहिए। राष्ट्रपति के यहां जायेगा और दो तीन साल तक लम्बित रहेगा तो राज्य के हित का नुकसान होता है। इसलिए राष्ट्रपति के यहां जाने की कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता। जहां विपरीत सरकारें हैं जैसे बंगाल में वह राज्य के हित में विधेयक बनाये हैं उसको राष्ट्रपति के यहां भेजा गया है जो खटाई में पड़ा रहता है। इसलिए मेरा कहना है कि संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुच्छेद 341 से 350 तक भाषा के सम्बन्ध में दिया हुआ है। अंग्रेजी राज्य में बिहार, बंगाल और उड़ीसा एक राज्य था। अलग-अलग राज्य होने पर भाषा के आधार पर देश के और प्रदेश के विकास में सहायता मिलती है। भाषा के विकास से हमारे देश का विकास होगा, राज्य का विकास होगा। अगर भाषा को दबाते हैं तो इसका बुरा परिणाम होता है। अभी अमेरिका और चाईना से पाकिस्तान को मदद मिलती है और उनका गलत डायरेक्शन में पंजाब और आसाम को ले जाना चाहते हैं। इसलिए भाषा के सवाल पर मतभेद नहीं होना चाहिए। हमारे यहां संविधान में पन्द्रह भाषायें शिड्यूल में हैं। मैथिली भाषा को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए बिहार सरकार ने केन्द्र को रिकोमेंड किया लेकिन नहीं जोड़ा गया। मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ 15 भाषायें हिन्दुस्तान में नहीं रह सकती हैं। इसलिए भाषा के सम्बन्ध में जो परिभाषा संविधान में दी गयी है उसमें संशोधन होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि संविधान के आर्टिकल 244(ए) में कहा गया है कि असम के अन्दर अटोनोमस स्टेट के लिए, ट्राइबल क्षेत्र के लिए भी राज्य बनाया जा सकता है तो क्यों नहीं बिहार के अन्दर जो ट्राईबल लोग हैं उनको भाषा का विकास करने के लिए

इस तरह का प्रावधान किया जाय ? संविधान के अर्टिकल 371 में कहा गया है कि महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विकास बोर्ड बनाने के लिए प्रावधान है तो क्यों नहीं बिहार के लिए भी ऐसा हो सकता है ? उपाध्यक्ष महोदय, अभी आप देखेंगे कि 7वीं सूची जो संविधान की है उसमें केन्द्र की स्थिति कुछ और है और कुछ कंकरेंस भी सम्मिलित है। अभी बिहार के अन्दर ट्रेड यूनियन की मान्यता के सवाल पर आन्दोलन चल रहा है। यहां चुनाव हो जाता है, मान्यता नहीं दी जाती है। क्योंकि वह कंकरेंस लिस्ट में है। उसी तरह से ईख बिहार की सूची में है और चीनी केन्द्र की सूची में है। खान है बिहार की सूची में और खनन है केन्द्र की सूची में। आप अबरख निकालते हैं एक्सपोर्ट होता है, विदेशी मुद्रा हमको मिलती है लेकिन उससे राज्य सरकार को फायदा नहीं होता है। उसी तरह से बैंक है। बैंक से महाराष्ट्र को जितना इन्वेस्टमेंट होता है उससे ज्यादा उसको मिलता है। बंगाल को 90 प्रतिशत, बम्बई को 120 प्रतिशत और बिहार को 30 प्रतिशत मिलता है। बम्बई के लोग जितना रुपया लगाते हैं उससे ज्यादा पैसा बैंक ले लेता है। उसी तरह से प्राइवेट कम्पनियां हैं जैसे टेलको, टिस्को और गोमिया एक्सप्लोसिव फैक्ट्री।

बंगाल को 90 प्रतिशत, बिहार को 30 प्रतिवत, बम्बई शहर को 130 प्रतिशत यानी जहां के लोग जितना लगाते हैं उससे ज्यादा मिलता है। यहां राज्य सरकार का बैंक नहीं है। इसी तरह से देखा जाय जो प्राइवेट कम्पनीज हैं जैसे टेलको, टिस्को गोमिया का एक्सप्लोसिव सब का हेडऑफिस कलकत्ता है जिसका नतीजा यह होता है कि इससे जो आय राज्य सरकार को होनी चाहिए वह नहीं मिलती है। सब का हेड-ऑफिस बिहार से बाहर है जिससे इसका लाभ जो राज्य को मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। बैंक के कर्ज का 60 प्रतिशत कर्ज सिर्फ 12 बड़े पूंजीपतियों को मिलता है जिससे यह कम्पनीज यह पैसा विकसित क्षेत्र में लगाती है। इसलिए हम समझते हैं कि वहां पर भी आपको अधिकार होना चाहिए। बिहार में आज भी उतनी ही रेलगाड़ी है जितना अंग्रेजी राज्य में थी इसमें नाममात्र का ही वृद्धि हुई है। मेघालय और मणिपुर में एक इंच भी रेल लाइन नहीं है यही हालत हिमाचल प्रदेश की है। नागालैंड में सिर्फ 9 की० मी० और त्रिपुरा में 12 की० मी० ही रेलवे लाइन है। इस तरह की असमानता रहेगी तो आंदोलन बढ़ेगा ही। यह कैसा न्याय है कि आमदनी जो हो वह केन्द्र का हो और खर्च जो हो वह राज्य सरकार का हो। बाढ़, सूखा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा पेंशन सब राज्य के खर्च से किया जाता है। कंपनी से, एक्साइज से, बंक से, एल० आई० सी० से, आयकर से केन्द्र को आय होती है और उसपर भी डेफोसीट होती है नोट छापकर पूरा कर लेती है जिसका असर राज्य पर

होता है कि इनफ्लेशन हो जाता है। क्योंकि नोट छापने का भी अधिकार केन्द्र को ही है। सिर्फ एक्साइज ड्यूटी बढ़ता है उसका हिस्सा राज्य को भी मिलता है। केन्द्र सीमेंट, कोयला, लोहा, तेल आदि का दाम बढ़ा देती है और उसका फल राज्य सरकार पर पड़ता है अभी आप जानते हैं कि सरकार को मंहगाई भत्ता पर 713 करोड़ खर्च करना पड़ रहा है। गत वर्ष सौ करोड़ की योजना इसी मंहगाई के कारण बन्द करना पड़ा। इसके अलावे सूद भी देना पड़ता है। वर्ल्ड बैंक की बैठक में निर्णय लिया गया था कि पिछड़े देशों का कर्ज माफ कर दिया जाय। आज राज्य की जो वित्तीय स्थिति है जो कर्ज का हाल है उसको देखते हुए मुख्य मंत्री को इस कर्ज को माफ करने के लिए केन्द्र को लिखना चाहिए। हो सके तो यहां से रेजोल्यूशन करके केन्द्र को दे इसमें हमलोग भी सरकार का समर्थन करेंगे। अभी पंजाब में विरोध चल रहा है। विरोधी दल वालों ने पंजाब समस्या का समाधन के लिए प्रस्ताव दिया है वह काफी अच्छा है उसपर करीब सब सहमत हैं। अकाली लोग भी मान गए हैं लेकिन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जान-बूझकर इस समस्या को उलझाए रखना चाह रही है। वे हिन्दुओं का बलिदान करवाना चाहती है। हमारी आइडियोलाजी की जीत हुई है। इन्दिरा गांधी को भी मान लेना चाहिए जैसा कि दूसरे-दूसरे राज्यों में चुनाव में ऐडजस्टमेंट करती रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा मंडल कमीशन के संबंध में। मंडल कमीशन के बारे में आप जानते हैं कि जनता पार्टी के समय में, जब जनता पार्टी बनी तो बिहार के अन्दर में आरक्षण के सवाल पर जातीय उन्माद फैल गया, आंदोलन हो गया और आपस में मार-पीट होने लगी और इसके बाद सभी पार्टी के लोगों ने, हमारी पार्टी ने भी इनिशियेटिभ लिया, उस समय डॉ० जगन्नाथ मिश्र अपोजिशन में बैठते थे, श्री कपूरी ठाकुर मुख्य मंत्री थे। सभी पार्टियों के साथ एग्रीमेंट हुआ, 1978 में नॉटिफिकेशन हुआ कि पिछड़े वर्ग के एनेक्सर-वन में 12 प्रतिशत जिसमें हजाम, धानुक, केवट, मल्लाह, खतवे आदि आते हैं और एनेक्सर-टू में 8 प्रतिशत इसके अतिरिक्त 3 प्रतिशत महिला एवं तीन प्रतिशत आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा के लिए। जो अधिसूचना जनता पार्टी के समय निकाला गया, उसको अमल में लाना चाहिए। और मंडल आयोग ने लैंड रिफार्म के बारे में अच्छी बातें कही है, यदि यह सरकार इसको लागू करती है तो हमलोग इसका स्वागत करेंगे। तकलीफ तब हुई जब मंडल आयोग ने पिछड़ा वर्ग में सिर्फ एक ही वर्ग रखा। जनता पार्टी के समय में जो सभी पार्टियों के साथ एग्रीमेंट हुआ था उसके आलोक में मंडल

आयोग की जो रिपोर्ट है, उसमें सभी पार्टियों की बैठक बुलाकर यदि सरकार संशोधन करना चाहती है तो इसको कर ले। लेकिन मुख्य मंत्री सदन में कह रहे थे कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट का स्वागत करता हूँ, क्या ये इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट में जो बात कही गई है कि आरक्षण में पिछड़ा वर्ग एक ही वर्ग होगा एनेक्सर-वन और एनेक्सर-टू को हटा दिया गया है इसका ये समर्थन करते हैं ? मैं इसको डिसरप्टीभ और डायभरसन मानता हूँ। अगर मुख्य मंत्री इसमें संशोधन करने से डरते हैं तो बिहार के अन्दर फिर से कास्ट-रायट ये करना चाहते हैं इसलिए इसमें जो प्रावधान है, जो अधिसूचना है श्री कर्पूरी ठाकुर के समय का, उसको अमल में लाना चाहिए। मंडल आयोग की रिपोर्ट में और भी कुछ अच्छी बात है, लेकिन इस पर सभी पार्टियों की बैठक बुलाईये, जिसमें हमलोग भी कुछ सजेशन देंगे। मुख्य मंत्री अभी-अभी सदन में आए हैं, मैं इन सारी चीजों को दुहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन कहना चाहूँगा कि इस बिहार को कौम्यूनल राईट से मुख्य मंत्री बचाना चाहते हैं तो सभी पार्टियों की बैठक बुलाए जिसमें यह तय हो कि क्या ये जनता पार्टी के समय जो एग्रीमेंट हुआ था, जो नॉटिफिकेशन हुआ था क्या ये इसको वापस लेते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात कहना चाहता हूँ। माननीय मुख्य मंत्री बहुत प्रोग्रेसिभ हैं बहुत तेज आदमी हैं, बहुत समझदार हैं। कितने समझदार हैं, आप सुन लीजिए। आठ पार्टी का जन आंदोलन जो हमने चालू किया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें नहीं थे, इन आठ पार्टी में सी० पी० आई० और सी० पी० एम० मुख्य पार्टी थी। इन पार्टियों के बारे में मुख्य मंत्री को क्या राजनीति समझदारी है, इसका मैं जिक्र कर देना चाहता हूँ, इन्होंने समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया कि "विरोधी पार्टियों के जन-विरोधी आंदोलन को विफल बनावें। जो विघटनकारी तत्व पंजाब और असम में हिंसा और अलगाव का रास्ता अपनाकर देश को विनाश की ओर ले जाने पर तुले हैं वे ही हमारे राज्य में भी सक्रिय होना चाह रहे हैं। 9 मई से आठ राजनीतिक पार्टियों द्वारा पूरे बिहार में सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाने का फैसला दरअसल राष्ट्र-विरोधी ताकतों की नापाक साजिश है। यानी जो असाम के चुनाव में सी० पी० आई० और सी० पी० एम० चुनाव लड़ी थी, उनको ये (मुख्य मंत्री) विघटकारी कहते हैं।

और इनका दोस्त कौन होगा, भारतीय जनता पार्टी। राईटिस्ट कौन है, कर्पूरीजी और लेफ्टिस्ट शायद ये हम लोगों को कहते हैं और इनका दोस्त कौन रहेगा, भारतीय जनता पार्टी। मैं धन्यवाद देता हूँ आपकी समझदारी को, आपकी प्रगतिशीलता को।

आपको तो म्यूजियम में रखना चाहिए ताकि बिहार के लोग देखें कि ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं और इनकी यह राजनीतिक सूझ-बूझ है और राईटिस्ट एण्ड लेफटिस्ट का फर्क क्या समझते हैं ?

उपाध्यक्ष—पूर्वेजी, आपका समय समाप्त हो रहा है, आप अपना भाषण दो मिनट में समाप्त करें।

श्री राजकुमार पूर्वे—उपाध्यक्ष महोदय, मार्च महीना में मधुबनी में आर० एस० एस० की तरफ से पर्चा निकला है, इनभिटेशन कार्ड है, जिसमें कहा गया कि जो हिन्दु होगा वह देशभक्त होगा, जो मुसलमान होगा, उसकी नजर काशी से मदीना तक ही जाती है, वह देशभक्त नहीं हो सकता है। यह मधुर वचन पर्चा में निकला है। मर गयी कांग्रेस की सरकार, जो मुसलमानों को राष्ट्रद्रोही कहता है पर्चा निकाला है, बांटता है और खुलेआम बांटा जाता है, वह इनका दोस्त है। लेफटिस्ट-राईटिस्ट हो गये हमलोग क्योंकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया तो राजनीतिक पार्टी है ही नहीं। राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी मालूम पड़ती है, आर० एस० एस० मालूम पड़ता है जिससे दोस्ती ये कर लिए हैं, इससे काश्मीर में दोस्ती कर लिए हैं और भीतर-भीतर बिहार के अन्दर भी दोस्ती कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह का पर्चा मधुबनी में निकाला गया है। हवलदार हमीद ने पाकिस्तान, हिन्दुस्तान की लड़ाई में बारुद बांधकर टैंक के सामने कूद पड़ा, खुद भी मरा और दुश्मनों को भी मारा, ऐसा आदमी देशभक्त हो सकता है, ऐसे आदमी को देशद्रोही कहते हैं, वे देश को टुकड़े-टुकड़े करना चाहते हैं, वे हिन्दुस्तान के दुश्मन हैं, वह हिन्दुस्तान के दोस्त नहीं हो सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात पर हंसी आती है जब एक तरफ उठकर हमारे ठाकुरजी कहते हैं कि यह आंकड़ा है, तब मिश्रजी कहते हैं कि ये आंकड़ा है। सचिवालय के पदाधिकारी इनकी संचिका उनको और उनकी संचिका इनको दे देते हैं और दोनों आदमी नाचते रहते हैं। मैं पूरी कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता हूँ ऐसा नहीं कि अन्तूले के बाद भोंसले आये और भोंसले के बाद पाटिल आये, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। पूरे कांग्रेस के खानदान को हटाने के लिए बिहार में 9 अगस्त को बिहार बन्द का अह्वान किया गया है और पूरे राज्य में इसके लिए आन्दोलन होगा।

(सदन में शोरगुल)

आपने बिजली का दर बढ़ा दिया है, इसके लिए भी सारे बिहार में आन्दोलन होगा।

श्री मो० इलियास हुसैन—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब माननीय सदस्य पूर्वे जी बोल रहे थे तो अंतिम अवस्था में माननीय सदस्य श्री रघुनाथ झा अंगूठा दिखा रहे थे, यह क्या है ?

(सदन में शोरगुल)

श्री संकटेश्वर सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा जो बिहार विनियोग विधेयक, 1983 सदन में प्रस्तुत हुआ है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। क्योंकि मुद्रा के बिना न तो श्री रामचन्द्र पासवान का काम चलेगा न पूर्वेजी का और न मेरा।

उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारा विकास काम है, वह सब 20 सूत्री कार्यक्रम पर आधारित है। यह नेशनल प्रोग्राम है। हमारे सामने बहुत-सा विकास का काम है। विकास के कार्य के लिए हमारे मुख्य मंत्रीजी बहुत जागरूक हैं और इन्होंने नीति निर्धारण कर दिया है जिसके चलते जनता वाह-वाह कर रही है। लेकिन इसके कार्यान्वयन में एक दिक्कत है। हालांकि सरकार की मंशा साफ है लेकिन इस विकास के काम में संतोषजनक प्रगति नहीं हो रही है। लेकिन इसमें जो नौकरशाही के लोग हैं, कार्यान्वित नहीं कर पा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग को आप देखें। उच्च विद्यालय की स्वीकृति सरकार के द्वारा दी जाती है। हर विषय के लिए एक अलग-अलग शिक्षक हो, लेकिन ऐसे अन-ट्रेन्ड शिक्षक को बहाल कर दिया जाता है, तो फिर ट्रेन्ड शिक्षक को आप कहां रखेंगे ?

दूसरी बात है कि देहातों में पंप दे दिया गया है लेकिन उसके मरम्मत करने के लिए कोई आदमी नहीं रखा गया है जिसके चलते 80—85 प्रतिशत पंप मरम्मत के अभाव में बेकार पड़े हुए हैं। इसके लिए एक टेकनिशियन को वहां रहना चाहिए जो घूम-घूम कर खराब पंप की मरम्मत करे। लेकिन आज ऐसा देहात में कुछ नहीं हो रहा है। लोगों का पंप बेकार पड़ा हुआ है और उसका पैसा सरकार बन्दूक के हाथ से किसानों से वसूल कर रही है। इसी तरह से ट्रैक्टर का दाम इतना बढ़ गया है कि कोई किसान उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं है। सरकार का कहना है कि प्रति वर्ष इतने लोगों को गरीबी रेखा से उठाना है लेकिन इसके अन्तर्गत जो एडोपटेड भिलेज नहीं है उसको बैंक से रुपया नहीं मिलता है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि एक सूची निकलवा दे। 20 सूत्री कार्यक्रम में प्रथम स्थान सिंचाई का है चाहे वह लघु सिंचाई

हो या वृहत सिंचाई हो। मैं देख रहा हूं कि छोटानागपुर के दूसरे जिले में तो इस दिशा में कुछ काम हुआ है लेकिन पलामू में कोई काम नहीं हुआ है। पलामू के साथ सरकार का सौतेला व्यवहार है। हमारे यहां एक कुटकू डैम है लेकिन अभी तक इसका काम पूरा नहीं हुआ है। हम जब से पैदा लिए हैं तब से सिर्फ कोशी योजना, कोशी योजना सुनते आ रहे हैं और 15 वर्ष से जबसे मैं राजनीति में आया हूं सिर्फ सुनता हूं कि इसका कार्य पूरा होगा लेकिन नहीं होता है। पहले तो यह स्कीम 13 करोड़ रुपये का था अब पता नहीं कितना हो गया होगा। मैं समझता हूं कि 33-34 वर्षों के दरम्यान पलामू में करीब 1 अरब रुपया सिंचाई पर खर्च किया गया होगा लेकिन उससे 100 एकड़ जमीन की भी एम्प्योर्ड इरिगेशन नहीं होता है। इनके पदाधिकारी लोग कहते हैं कि लघु सिंचाई से फायदा होगा, लेकिन 10 वर्षों से स्वीकृत है और होता कुछ नहीं है। लघु सिंचाई के प्रभारी मंत्री कहते थे कि वहां के सदर डिवीजन में डी० पी० डी० ए० से 15 स्कीम स्वीकृत हैं लेकिन बिहार सरकार से पैसा नहीं मिलता है। इसमें आधा केन्द्र को देना है और आधा स्टेट सरकार को। अगर वहां से काम किया जा रहा है तो यहां से भी काम किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसी परिस्थिति में काम नहीं हो पाया है। हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं उनको तो इसे देखना चाहिए। स्कीम बन कर तैयार है लेकिन उसमें पानी नहीं है। इसका रीभ्यू भी उन्होंने किया लेकिन आश्चर्य है कि अभी तक पटवन उससे नहीं हो रहा है। एकमात्र इसके कार्यान्वयन की दिशा में जो एक्जेक्यूटिव बडी है उसी की गलती कही जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, लघु सिंचाई द्वारा एक खैरी डैम बनाया गया है। इसका प्राक्कलन वगैरह लघु सिंचाई विभाग में ही बना लेकिन अब इंजिनियर इन चीफ कह रहे हैं कि इसको फिर से बनाया जाय। मैं सरकार से कहता हूं कि जब लघु सिंचाई द्वारा सब काम इसमें किया गया है तो वे ही इसे क्यों नहीं बनाते हैं। इसको क्या कहा जायगा। फिर से बनाने का मतलब है कि इसमें विलम्ब की बात कही जा रही है। जैतु में उसी प्रकार का एक स्कीम लिफ्ट इरीगेशन का है जो अभी तक वह स्कीम नहीं बन पाया है।

अब मैं एलेक्ट्रीक के बारे में कहना चाहता हूँ। हमारे जिले में पांकी प्रखण्ड में एक अमानत जगह है जहाँ आज तक बिजली नहीं पहुँची है। हजारीबाग से बराबर सम्पर्क करने की आवश्यकता होती है लेकिन बिजली के अभाव में यह काम नहीं हो पाता है। चक नदी में एक सिंचाई स्कीम बनाने की बात थी जो अभ तक नहीं बन पाई है।

आरक्षी उपाधीक्षकों के बारे में कहना चाहता हूँ कि चयन समिति की बैठक प्रतिवर्ष होनी चाहिए लेकिन उसकी बैठक नहीं होती है जिससे उनके संवर्ग में काफी क्षोभ व्याप्त है। 1981-82 में इनकी बैठक होनेवाली थी लेकिन विधान सभा के सत्र का बहाना लेकर उसकी बैठक उस वर्ष भी नहीं हो सकी। वैसे पदाधिकारी अभी भी 1976 से अवर आरक्षी निरीक्षक के पद पर ही हैं जबकि उनको आरक्षी उपाधीक्षक हो जाना चाहिए था। अतः मेरा सरकार से अनुरोध होगा कि उनमें क्षोभ व्याप्त है, इसलिए उनके क्षोभ को दूर करने के लिए चयन समिति की बैठक शीघ्र बुलाई जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मनातु प्रखण्ड में एक इंच भी पक्की सड़क नहीं है। इस तरह वहाँ आवागमन का साधन अभी तक नहीं हो पाया है। साथ ही अमानत नदी पर एक पुल बना देने से बहुत जगहों की दूरी कम हो जायेगी जिसके लिए हमारे मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया है और मैं समझता हूँ कि अमानत नदी पर पुल बना दिया जायेगा। इसके बारे में इस सदन के माननीय सदस्य, श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी वहाँ गये हैं और इन्होंने भी कहा कि यहां पुल बनाना आवश्यक है। अतः सरकार इस ओर ध्यान दे और अमानत नदी पर पुल का निर्माण शीघ्र करे।

श्री लालमुनी चौबे—उपाध्यक्ष महोदय, गीता कहती है :

"वासांसि जीर्णानी यथा विहाय
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-
न्यन्यानि संयाति नवानि देही।

जिस तरह से मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है उसी तरह से मनुष्य पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि चिन्ता नहीं करें। मुख्य मंत्री यदि यहाँ नहीं रहेंगे तो केन्द्रीय मंत्री जरूर होंगे। यहाँ मुख्य मंत्री ये हैं तो बिहार को लूट रहे हैं और केन्द्र में मंत्री रहेंगे तो छूट कर लुटिएगा और इनके बदले में ये लोग किसी दूसरे को ले आयेंगे।

(सत्ता दल की ओर से आवाज—यह आपही को मालूम है ?)

ये सुसंस्कृत बात भी नहीं सुन सकते हैं। ऐसे खूंखार और क्रिमिनल बंधुसे मैं कह रहा हूँ जो पूरे बिहार को छूटकर लूट रहे हैं और जिसका सम्पूर्ण समर्थन और सहयोग श्री राजकुमार पूर्वे का है। इनके दल मे एक आदमी यहां बैठते हैं, जब वे बोलते हैं तो लगता है कि रसगुल्ला खाने जैसा मुंह बना लेते हैं, जब वे बोलने लगते हैं, जैसे स्टीम इंजन चलता है—धुक-धुक......

उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य अपना भाषण जरा संयत रखें। वे अपनी बातें कहें, किसी पर प्रत्यारोपन न करें।

श्री लालमुनी चौबे—यह किसी पर प्रत्यारोपन नहीं है। आपसे गुजारिश करता हूं कि आर० एस० एस० के बारे में वे बार बार बोलते हैं जिसमें बी० जे० पी० को भी लपेटते हैं। वे अभी यहाँ बैठते हैं पहले यहाँ श्री कर्पूरी ठाकुर के बगल में बैठते थे सी० पी० आई० के साथ। उनकी नजर में महात्मा गांधी साम्राज्यवाद का दलाल था, महात्मा गांधी देश द्रोही था, महात्मा गाँधी अंग्रेजों के साथ मिलकर देश को बेच रहा था। हम कहते हैं कि गाली मत दो, मार दो, हत्या कर दो, लालमुनी चौबे की हत्या कर दो। ये सबसे पहले गांधी के हत्यारे हैं। इन्होंने गांधी को जो गाली दी है, इन्होंने आजादी की हर लड़ाई में देश को धोखा दिया है और उसके बाद वे संविधान की बात कर रहे थे। वे सिद्धांत हमको बता रहे थे। हमने उनको टोका और कहा कि वे संविधान में विश्वास करने वाले होते तो उनकी बात सुनी जा सकती थी, प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी संविधान की बात कहतीं तो वह सुनी जा सकती थी। पूरी मशीनरी पैरालाइज करने के लिए आप संविधान समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि इसमें क्या-क्या खामियां हैं। इस प्रकार प्रचार आप बाहर में भी करते हैं। मैं कहता हूँ कि यह मुख्य मंत्री के सामान्य प्रशासन का जवाब नहीं था। मैं पूर्वे जी से कहना चाहता हूँ कि आप क्या चाहते हैं? आसाम में जो हो रहा है, वह बिहार में भी हो, जो महाराष्ट्र में हो रहा है, वह बिहार में भी हो? विद्यार्थी जी, जरा आप भी ध्यान से सुनिए। आपकी भूमिका भी उनसे कुछ कम नहीं है। सबसे पहले जब इमरजेन्सी आयी तो हमलोग फ्लैट में सामान सम्भालने में लगे थे, उस समय फासिस्ट विरोधी सम्मेलन बुलाया गया। सबसे पहले हमलोगों ने रिजाइन करने के लिए तय किया था। हमलोग अपना सामान बाँध कर फ्लैट में तैयार हुए, उस समय सी० पी० आई० के कार्यकर्त्ता ने कहा कि संविधान बदल दें, बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो हम लड़ गये। बाद में कहा गया कि जय प्रकाश जी लड़े, देश की जनता लड़ी। उसका परिणाम हुआ कि बड़े-बड़े लोग झुक गये, श्रीमती इन्दिरा गांधी झुक गयीं, संजय गांधी झुक गये और आपको याद होगा कि जय प्रकाश जी के मरने के बाद सारा देश शोक समुद्र में डूब गया था, उस समय के देश के साथ हमलावर घातक करने वाले, गद्दारी करने वाले रूस के हाथ में देश को बेचने वाले पूर्वे जी आज आर० एस० एस० का नाम लेते हैं और बी० जे० पी० का नाम लेते हैं।

श्री टीका राम माँझी—पूर्वे जी ने चौबे जी का नाम नहीं लिया था।

उपाध्यक्ष—उन्होंने आर० एस० एस० के नाम से कहा है, इसलिए आप भी सी० पी० आई० के बारे में कहें, पूर्वे ज. का नाम लेकर न कहें।

श्री लालमुनी चौबे—सी० पी० आई० और कांग्रेस (आई) दोनों दल एक ही है, फर्क केवल यही है कि कांग्रेस (आई) के नेता डॉ० जगन्नाथ मिश्र हैं और सी० पी० आई० के नेता श्री राज कुमार पूर्वे हैं। मैं तो कह रहा था मुख्य मंत्री को अब ये भी संसदीय और धर्म पर विश्वास करने लगे हैं, अब ये भी तुलसी की चौपाई पढ़ने लगे हैं। पहले इनकी नजर में तुलसी देश के गद्दार थे, महात्मा गाँधी गद्दार थे और मार्क्स, लेनिन ऐसे व्यक्ति थे जो संविधान को समझ सकते थे। ऐसा श्री राज कुमार पूर्वे और श्री गणेश शंकर विद्यार्थी समझते थे। मैं कह रहा था कि आप लोग विषयांतर कर के, कांग्रेस (आई) से साठ-गांठ करके पूरे विरोधी दल को डायवर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कांग्रेस (आई) के समर्थक आप हैं। आपका ऐसा इतिहास रहा है, आप इनके समर्थक ही नहीं बल्कि जितना विरोधं हमारे वे (कांग्रेस आई) हैं, उतना ही आप भी हैं।

श्री रमेन्द्र कुमार—ये महात्मा गाँधी के हत्यारे हैं, कम-से-कम हमलोग महात्मा गांधी के हत्यारे नहीं हैं।

श्री लालमुनी चौबे—मैं कह रहा था कि डॉ० जगन्नाथ मिश्र और श्री राज कुमार पूर्वे में कोई फर्क नहीं है। डॉ० जगन्नाथ मिश्र संविधान के बारे में बात कर रहे थे संविधान अगर इन्होंने पढ़ा है......

उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया, पाँच मिनट हो गया।

श्री लालमुनी चौबे—अगर मेरा समय समाप्त हो गया तब तो मैं वापस लेता हूँ अपना भाषण और आग्रह करता हूं.........

उपाध्यक्ष—आप दो मिनट में अपना भाषण समाप्त करें।

श्री लालमुनि चौबे—कोई 22 मिनट, 25 मिनट बोले और हमारा समय पांच मिनट में ही समाप्त हो गया ?

उपाध्यक्ष—यह आपका ही नियम बनाया हुआ है। आपके दल के नेता बोले थे।

श्री लालमुनि चौबे—मैं कह रहा हूँ कि मेरा बनाया हुआ कोई नियम नहीं है। जितना नियम बनाया गया, सब वाहियात हो गया। डॉ० जगन्नाथ मिश्र ने अपने भाषण के क्रम में मुख्य मंत्री की हैसियत से कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन की बात सदन में नहीं उठानी चाहिए और लालमुनी चौबे अनाप-शनाप बात किया करते हैं। उसी समय इनके भूतपूर्व मंत्री, श्री योगेश जी ने कहा कि लालमुनी चौबे को अभी प्रशिक्षण

की जरूरत है। मैंने मान लिया कि योगेश जी और डॉ० जगन्नाथ मिश्र दोनों इस सभा में बड़े विद्वान हैं, संविधान के बहुत बड़े जानकार हैं लेकिन मैं इनसे कह रहा हूँ ये संविधान की पुस्तक में पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में अनुच्छेद 315, 316 और 317 में जो लिखा है, उसको आप पढ़िए। पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति करती है राज्य सरकार गवर्नर की मर्जी से। इसका सारा खर्च देती है राज्य सरकार। आप तीनों अनुच्छेद को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इनके खिलाफ राज्यपाल से निवेदन किया जा सकता है, ये धांधली करेंगे तो राज्यपाल से कहा जा सकता है लेकिन इन्होंने कह दिया कि हमको कोई अधिकार ही नहीं है।

उपाध्यक्ष—अब आप समाप्त करें।

श्री लालमुनी चौबे—अभी तो मैंने कुछ कहा नहीं। कुछ कहना शुरू किया तो आप कहने लगे कि आपका भाषण समाप्त हो गया, मुझे विश्वास है मैं जो कहने जा रहा हूँ, उसे आप ध्यान से सुनेंगे। यह है पब्लिक सर्विस कमीशन के परीक्षा की कोपी (पब्लिक सर्विस कमीशन का परीक्षा का कौंपी की फोटो स्टेट कौंपी दिखलाते हुए)

उपाध्यक्ष—आपको दस मिनट बोलना था और 11 मिनट हो गया।

श्री लालमुनी चौबे – मुझे थोड़ा भी समय दीजिए। मैं आपसे कह रहा था कि यह पब्लिक सर्विस कमीशन का परीक्षा की कौंपी है। यह विषद सवाल है, इसमें पूरे राज्य के हित का सवाल है। [* * *]

श्री सुरेन्द्र प्रसाद तरुण—उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विनियोग विधेयक के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हू। इस सन्दर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि वर्त्तमान सरकार ने खासकर मुख्य मंत्री ने बिहार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिये अनेक कारगर कदम उठाये हैं। उदाहरणस्वरूप, मैं तीन-चार बातों की ओर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। 67 करोड़ रुपया वार्षिक समाजिक सुरक्षा पेंशन के मद में रखा गया है। यह इस बात को साबित करता है कि हमारी सरकार जन-कल्याणकारी योजनाओं में विश्वास करती है। दूसरा जन-कल्याणकारी कार्य हमारी सरकार ने जिला पंचायत समितियों का पुनर्गठन करके किया है। तीसरा, 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत एन० आर० ई० पी० के अन्तर्गत सड़क एवं सिंचाई की व्यवस्था की गयी है।

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक विधायक को, चाहे बी० जे० पी० के हों यहाँ या कांग्रेस पार्टी के, जन-कल्याणकारी योजनाओं के लिये उन्हें एक लाख रुपया दिया जाता है। हमारे

पाद टिप्पणी—[***] अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

मुख्य मंत्री ने एक-एक लाख रुपया प्रत्येक विधायक को जन-कल्याणकारी कार्य के लिये दिया है। पहले जमाने में एक मंत्री को 20 हजार, 25 हजार रुपया मिलता था। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि हमारी सरकार जन-कल्याणकारी सरकार है और वह अपने प्रदेश में जन-कल्याणकारी कार्य कर रही है। 5 किलोमीटर सड़क बनवाने का अधिकार प्रत्येक विधायक को दिया गया है। स्वस्थ और कुशल प्रशासन के लिये नये जिले और अनुमण्डलों का निर्माण किया गया है। लेकिन इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि बिहार राज्य में कुछ ऐसी शिकायतें आ गयी हैं जिस पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। आज मुट्ठी भर समाज विरोधी तत्व, खास कर एडुकेटेड क्रिमिनल बिहार को कब्जा कर लिये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री से कहना चाहता हूं कि सरकार को राज्य के आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र की ओर ध्यान देना चाहिये। अब मैं अपने क्षेत्र की समस्या के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र के बथानी में स्थायी पुलिस थाना, (2) बिजली सब स्टेशन का निर्माण होना चाहिये, (3) कटारी में रेफरल अस्पताल की स्थापना होनी चाहिये, गया तपोवन भाया बाजीरगंज सड़क का निर्माण होना चाहिये, (4) अतरी से राजगीर तक भाया बथानी पक्की सड़क का निर्माण होना चाहिये तथा (5) नटेशर होरिडीह में सिंचाई के लिये डैम का निर्माण होना चाहिये।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन : (स्वीकृत)

अध्यक्ष—कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक आज तिथि 26 जुलाई, 1983 को 10.30 बजे पूर्वाह्न में अध्यक्ष महोदय के सभापतित्व में हुई। उक्त बैठक में अध्यक्ष के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:—

डा० जगन्नाथ मिश्र, मुख्य मन्त्री—सदस्य।
श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह मंत्री—सदस्य।
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह, मंत्री—सदस्य।
श्री करमचन्द भगत, मंत्री—सदस्य।
श्री गजेन्द्र प्रसाद हिमांशु, उपाध्यक्ष—सदस्य।
श्री कर्पूरी ठाकुर, नेता विरोधी दल—सदस्य।
श्री भीष्म प्रसाद यादव, स० वि० स०—सदस्य।